कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी

पत्रांक 1394 / 5-8 मंझनपुर, दिनांक जनवरी 17 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड (लो0नि0वि0)
प्रायागराज।

विषय– जनपद–कौशाम्बी में राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0 द्वारा किमी0 सं0– 49.155 से किमी0 सं0–74.700 तक (सिंगरौर उपरहार से बरनपुर–कादीपुर–इचौली) पर हाईब्रिड वार्षिक मोड पर कस कर रहे एन.एच. 731ए जिला कौशाम्बी में प्रस्तावित 4लेन ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण में प्रभावित 15.461 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में

संदर्भ– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 2320/11–सी–FP/UP/Road/153349/2022 Lucknow दिनांक 16.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भगत पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी है।

आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में वांछित अभिलेख/सूचना संलग्न नहीं किये गये है, जिससे निम्न बिन्दुओ पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें, ताकि प्रकरण मे अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

1. परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश प्रस्ताव में– संलग्न नहीं है।
2. पावर आफ एटार्नी/अथारिटी पत्र प्रस्ताव में– संलग्न नहीं है।
3. मार्ग चौडीकरण का स्टैन्डर्ड कस सेक्सन (Linear Plan) जिसमे वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW की माप दर्शाया गया हो– संलग्न नहीं है।
4. रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र– संलग्न नहीं है।
5. ऑन लाइन भाग–2 के कमांक–13 में सीए स्थल को PF दर्शाया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही स्थिति फीड करें।
6. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्य दिसव में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की पॉच प्रतियां प्राप्त कराकर इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को पॉच प्रतियों मे उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(आर0एस0 यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी